प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.05.2026

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25000 रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 28.05.2026 को थाना खोड़ा पर घटित घटना के सम्बन्ध में वादी श्री यश पुत्र कौशलेन्द्र चौहान के भाई सूर्यप्रताप को अभियुक्तगण द्वारा चाकू मारकर गम्भीर रुप से घायल करने तथा ईलाज के दौरान फोर्टिज अस्पताल नोएडा में मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना खोड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/26 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना में मुख्य अभियुक्त असद की पुलिस मुठभेड में घायल होकर इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है तथा अभियुक्तगण नवाब,फरहान,आतिफ को पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य वाछिंत अभियुक्त सारिक उपरोक्त की गिरफ्तारी पर उच्चाधिकारीगण द्वारा 25000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया था एवं वांछित चल रहे अभियुक्त सारिक मेवाती की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित करके सम्भावित जगहों पर दबिश देकर गिरफ्तार करने के प्रयास के क्रम में आज दिनांक 03.06.26 को थाना खोड़ा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभि0 सारिक मेवाती पुत्र साबिर मेवाती निवासी गली न0 1 नवनीत विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद मूल पता ग्राम छर्रा बदशाह नगला थाना छर्रा जिला अलीगढ को नहर पटरी इन्दिरापुरम अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सारिक मेवाती के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त सारिक ने अपना जुर्म इकबाल करते हुए अपने साथी अभियुक्तों असद, फरहान, अतीक, नवाब आदि के साथ मिलकर सूर्यप्रताप को चाकू मारने की बात बतायी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

- सारिक मेवाती पुत्र साबिर मेवाती निवासी गली न0 1 नवनीत विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद मूल पता ग्राम छर्रा बदशाह नगला थाना छर्रा जिला अलीगढ उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर उक्त सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मानव तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 12 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 वाहन, 02 लाख 90 हजार रूपये के नकली नोट व अपहृता नवजात शिशु (उम्र 11 दिन) को सकुशल बरामद किया गया।

दिनांक 26.05.2026 को वादिया हिना द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्ता पूजा द्वारा वादिया की बच्ची को बिना बताये घर से ले जाकर अभियुक्त मोनू उर्फ मनोज नाम के व्यक्ति को दे देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2),3(5) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नवजात शिशु की सकुशल बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 02.06.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटैज, सुरागसी-पतारसी, सर्विलांस के आधार पर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए घटना में संलिप्त 12 अभियुक्तगण 1.सुनील कुमार पुत्र हेतराम सैनी 2.संजय पुत्र राज कुमार 3.राजेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह 4.पवन कुमार पुत्र मुन्ना लाल 5.मनोज उर्फ मोनू पुत्र ओम प्रकाश 6.राबिया पत्नी विनीत कुमार 7.विनीत कुमार पुत्र सादेलाल 8.कृष्णा देवी पत्नी सुनील कुमार 9.फरमीना पत्नी गुलजार 10.ज्योति पत्नी रंजीत 11.पूजा पत्नी लोकेन्द्र तोमर 12.कुमकुम पत्नी दीपक को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अपहृत नवजात शिशु (उम्र करीब 11 दिन) को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 03 कार तथा 02 लाख 90 हजार रूपये के नकली नोट बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 179/143(4)/61 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण से बरामद नवजात शिशु के संबंध में पूछा गया तो अभियुक्ता राबिया द्वारा बताया गया कि मेरे जीजा शब्बीर की दूसरी पत्नी हिना जिसको बच्चा होने वाला था। मैंने हिना को बहला फुसलाकर यकीन दिलाया कि तुम अपने पैदा होने वाले बच्चे को मुझे दे देना, जिसके बदले मैं तुम्हे अच्छे पैसे दिलवा दूंगी और यकीन दिलाया कि तुम्हारे पैदा होने वाले बच्चे की अच्छी परवरिश हो जायेगी क्योकि तुम्हारे पति शब्बीर पर पहली पत्नी से चार लड़की तथा तुम्हारे से एक लड़का है। मैंने यह सारी बातें करके हिना को अपनी बातों में फंसाकर तैयार कर लिया था। जिसके बाद मैंने मोनू उर्फ मनोज व पूजा जो मानव तस्करी के सिस्टम को चलाते हैं से बात की और बताया कि मैंने एक महिला को बहला फुसलाकर बच्चा देने के लिये राजी कर लिया है तो मनोज व पूजा ने कहा कि ठीक है, उसको दो लाख रुपये बता दो, हम दो लाख रूपये में उससे बच्चा ले लेंगे। दिनांक 23/05/2026 को हिना को एक बेटी पैदा हुई थी जिसको पूर्व में मेरे द्वारा बात करने पर और आश्वासन देने पर तैयार कर लिया गया था। लेकिन बेटी होने के बाद हिना का अपने बच्ची के प्रति लगाव बढ़ गया और वह अपनी बच्ची देने के लिये आना कानी करने लगी थी। मैंने इस बारे में मनोज उर्फ मोनू से बात की तो उसने मुझे बताया कि मैंने आगे तक बात कर ली है और आश्वासन दे दिया है अगर मुझे बच्ची नही मिली तो मेरा सारा सिस्टम फेल हो जायेगा, कुछ भी करो बच्ची

को लेकर आओ। जिस कारण मैंने हिना को बिना बताये उसकी बच्ची को उसके घर से उठाकर छिपते छिपाते अपने साथ लेकर चली गई थी और हम लोग बच्ची को पार्टी को देने के लिये यहा एकांत में आये थे। अभियुक्तगण कृष्णा देवी पत्नी सुनील, सुनील पुत्र हेतराम, संजय पुत्र राजकुमार, ज्योति पत्नी रंजीत उपरोक्त, अपहृत बच्ची को तरन्नुम निवासी गढ्ढा कॉलोनी, आरती निवासी सभापुर खजूरी दिल्ली, नदीम निवासी लोनी के माध्यम से राजू व दीप्ति को आन्ध्र प्रदेश ले जाकर बेचने वाले थे। वह लोग अच्छे पैसो में लोगो से डील कर लेते हैं और काफी अच्छा पैसा हम लोगो को देते हैं। पहले भी हम मनोज उर्फ मोनू, पूजा, राजेन्द्र व कुमकुम के माध्यम व इनकी टीम के सहयोग से कई बच्चो को आन्ध्रप्रदेश में बेच चुके हैं। आज मनोज ने बताया कि मैं पार्टी लेकर आ रहा हूँ। तो हम लोग यहा एकांत मे ट्रोनिका सिटी में मन्दिर के पास आये थे। हम सभी लोग मिलकर इस बच्ची को आन्ध्रप्रदेश ले जाकर बेच देने की फिराक में थे कि पुलिस ने हमे पकड़ लिया। नकली नोटो के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि हम इन नकली नोटों का प्रयोग बच्चे को खरीदने के लिए करते हैं। हम जिनसे बच्चा लेते है, उन्हे बहलाकर धोखे से ये नकली नोट दे देते हैं, जब तक वह नकली नोटो को समझ पाते हैं हम बच्चे को लेकर दूर चले जाते हैं और नकली नोट के साथ पकड़े जाने के डर से कोई हमारी शिकायत भी नही करता। बरामद गाड़ी के सम्बन्ध में पूछने पर अभियुक्तगण ने बताया कि इन गाड़ियो को हम अपहृत बच्चों की तस्करी करने में बदल-बदल कर उपयोग करते है ताकि हमें कोई पहचान न पाये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.सुनील कुमार पुत्र हेतराम सैनी निवासी वाटरबक्स वाली गली नौहर थाना नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान उम्र करीब 36 वर्ष

2.संजय पुत्र राज कुमार निवासी संजय नगर थाना सिविल लाइन हिसार हरियाणा हालपता विकास नगर नाला रोड मनोज खण्डेलवाल बीजेपी ऑफिस के पीछे थाना रमहोला दिल्ली उम्र करीब 36 वर्ष।

3.राजेन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी मेहंदीपुर खादर थाना रबूपुरा जिला गौतमबुद्धनगर हालपता सैक्टर 73 सूर्य बैकेंट होल जनता फ्लैट के पीछे थाना फेस 03 नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 36 वर्ष।

4.पवन कुमार पुत्र मुन्ना लाल निवासी जीडीए मार्केट साहिबाबाद थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

5.मनोज उर्फ मोनू पुत्र ओम प्रकाश निवासी महावीर कॉलोनी थाना नीलगेट जनपद हिसार हरियाणा वर्तमान पता नांगलाई थाना निहाल विहार दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।

6.राबिया पत्नी विनीत कुमार निवासी अखाड़ा वाली गली शनि बाजार छप्पर वाली मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद मूलपता ग्राम जैटपुरा थाना लवेदी इटावा उम्र करीब 33 वर्ष।

7.विनीत कुमार पुत्र सादेलाल निवासी अखाड़े वाली गली अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष।

8.कृष्णा देवी पत्नी सुनील कुमार निवासी वाटरबक्स वाली गली नौहर थाना नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान उम्र करीब 33 वर्ष

9.फरमीना पत्नी गुलजार निवासी अमन गार्डन अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष।

10.ज्योति पत्नी रंजीत निवासी जहांगीरपुरी भलस्वा डेरी थाना भलस्वा दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

11.पूजा पत्नी लोकेन्द्र तोमर निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।
12.कुमकुम पत्नी दीपक निवासी गली नं0 19/बी मोड़बंद बदरपुर कृष्णा निवास आंगनवाड़ी केन्द्र के सामने थाना बदरपुर दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

वांछित अभियुक्त-

1.तरन्नुम निवासी गढ्ढा कॉलोनी लोनी गाजियाबाद
2.आरती निवासी सभापुर खजूरी दिल्ली
3.नदीम निवासी लोनी गाजियाबाद
4.राजू निवासी आन्ध्र प्रदेश राज्य
5.दीप्ति निवासी आन्ध्र प्रदेश राज्य

बरामदगी का विवरण-

अपहृत नवजात शिशु (उम्र करीब 11 दिन) को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 03 कार तथा 02 लाख 90 हजार रुपये के नकली नोट बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त मनोज उर्फ मोनू के विरूद्ध पूर्व में मानव तस्करी के सम्बन्ध में थाना सूरजपोल जनपद उदयपुर राजस्थान में 01 अभियोग, थाना झडौल जनपद उदयपुर राजस्थान में 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त सुनील कुमार के विरूद्ध पूर्व में थाना हिसार सिटी जनपद हिसार हरियाणा में मारपीट के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना हिसार सिविल लाइन जनपद हिसार हरियाणा में अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारीकरने वाली पुलिस टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन तथा थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत आज थाना लोनी क्षेत्र में अपराधियों / हिस्ट्रीशीटरो के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया तथा भविष्य में अपराध कारित न करने की शपथ दिलाई गई।

श्री जे.रविन्दर गौड पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अंतर्गत श्री केशव कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के पर्यवेक्षण तथा श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के नेतृत्व में अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, 04 अन्य सहायक पुलिस आयुक्त, 09 थाना प्रभारियों एवं 500 पुलिस कर्मियों के साथ टीमें गठित कर दिनांक 01.06.2026 से यक्ष एप पर पंजीकृत अपराधियों के सत्यापन के विषय में आज दिनांक 03.06.2026 को थाना लोनी क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसके तहत शेष **91** अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया गया। अबतक अभियान के अन्तर्गत थाना लोनी क्षेत्र में **1171** अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। इसी क्रम में थाना लोनी पर पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधियों का सत्यापन किया गया तथा श्री सिद्धार्थ गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त लोनी/अंकुर विहार द्वारा **190** अपराधियों को भविष्य में अपराध न करने की शपथ दिलाई गई, जिससे अपराधियों में सुधार की भावना जागृत हो और समाज में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र

में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना रहा।

अभियान की प्रमुख कार्यवाही:-

- थाना लोनी पर पंजीकृत लूट, हत्या, स्नैचिंग एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधियों का विशेष स्वसत्यापन किया गया
- संबंधित अपराधियों को थाना परिसर में बुलाकर उनके वर्तमान निवास स्थान, रोजगार, गतिविधियों एवं अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन किया गया।
- पूर्व से शरीर एवं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों की समीक्षा कर उन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई।
- सत्यापन के उपरांत सभी अपराधियों को भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध न करने तथा अवैध गतिविधियों से दूर रहने की शपथ दिलाई गई।
- अपराधियों को आमजन में भय अथवा असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न न करने तथा कानून का पूर्णतः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

सभी सत्यापित अपराधियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस का संदेश:-

शासन की मंशा के अनुरूप थाना लोनी क्षेत्र में पुलिस शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराधियों की निगरानी, सत्यापन एवं अपराध नियंत्रण हेतु ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर संचालित किए जाते रहेंगे, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 07 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 30.05.2026 को थाना लोनी पर वादी सुरेन्द्र पुत्र राममहर निवासी गांव गनोली थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्त 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी गांव गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी गनौली 4. गौरव निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी गांव गनौली व अन्य द्वारा गोली मारकर अपहरण कर गाडी में जबरन डाल कर अपने साथ ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/140(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत मु0अ0स0 152/2026 पंजीकृत किया गया तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अपराधिक घटना के षडयन्त्र में शामिल अभियुक्तगण 1. विजेन्द्र 2 आजाद पुत्रगण बुद्धाराम निवासी ग्राम गनौली 3. अजब सिंह पुत्र लखमीचन्द निवासी ग्राम गनौली के नाम प्रकाश में आये हैं तथा धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तत्पश्चात दिनांक 01.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. विजेन्द्र 2 .आजाद 3. अजब सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अन्य वांछित अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र विजेन्द्र निवासी गांव गनौली 2. सौरभ उर्फ भोला पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम गनौली 3. गोपाल पुत्र रमेश निवासी गनौली 4. गौरव पुत्र नामालूम निवासी बादलपुर गौतमबुद्धनगर 5. मोहित पुत्र मुकुट पंडित निवासी गांव गनौली की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जिन पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। विवेचना के क्रम में वाछिंत अभियुक्तगण को

संरक्षण देने हेतु अभियुक्तगण 1.किरन पत्नी रामगोपाल निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष 2. कोमल पत्नी विक्रान्त उर्फ विक्की निवासी बुदेडा थाना बिनोली जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष 3. दीपांशु पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 4. प्रीत पुत्र रकम गुर्जर निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 5.शेखर पुत्र पवन निवासी डगरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 31वर्ष, 6.मोहित पुत्र सुन्दर शर्मा निवासी ग्राम धींग थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 7. विक्रान्त उर्फ विक्की पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बुदेडा थाना बिनोली जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष के नाम प्रकाश में आये तथा अभियोग में धारा 253 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 03.06.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.किरन पत्नी रामगोपाल निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष 2. कोमल पत्नी विक्रान्त उर्फ विक्की निवासी बुदेडा थाना बिनोली जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष 3. दीपांशु पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 4. प्रीत पुत्र रकम गुर्जर निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 5.शेखर पुत्र पवन निवासी डगरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 31वर्ष, 6.मोहित पुत्र सुन्दर शर्मा निवासी ग्राम धींग थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 7. विक्रान्त उर्फ विक्की पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बुदेडा थाना बिनोली जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। **प्रकरण में अबतक कुल 12 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जा चुका है I**

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारी विपक्षीगण से पुरानी रंजिश चली आ रही है जिसके कारण विपक्षीगण से रंजिश का बदला लेने के लिए आपराधिक षडयन्त्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.किरन पत्नी रामगोपाल निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष
2. कोमल पत्नी विक्रान्त उर्फ विक्की निवासी बुदेडा थाना बिनोली जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष
3. दीपांशु पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
4. प्रीत पुत्र रकम गुर्जर निवासी ग्राम गनौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष
5.शेखर पुत्र पवन निवासी डगरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 31वर्ष,
6.मोहित पुत्र सुन्दर शर्मा निवासी ग्राम धींग थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
7. विक्रान्त उर्फ विक्की पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बुदेडा थाना बिनोली बागपत उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

स्वाट टीम, नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद एवं थाना सिहानीगेट पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर लुटेरे घायल अवस्था में गिरफ्तार तथा उनका साथी सुनार भी गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध देशी तमंचे .315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, लूटी गयी चैन/मंगलसूत्र को गलाकर बनाये गये सोने के टुकड़े एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगण सुबह टहलने वाले महिलाओं एवं व्यक्तियों से चैन/मंगलसूत्र छिनैती की घटनाऐं करते थे, नगर जोन के थाना सिहानी गेट, कविनगर, मधुबन बापूधाम की तीन घटनाओं का खुलासा।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 03.06.2026 को स्वाट टीम, नगर जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद एवं थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा हमदर्द चौराहा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लोहियानगर क्षेत्र में महिला के गले से मंगलसूत्र छीनने वाले दो व्यक्ति छीने गये मंगलसूत्र को गलाकर बनाये गये सोने के टुकड़े बेचने के लिये हमदर्द ग्राउण्ड में एक सुनार से मिलने आने वाले हैं तथा उनके पास अवैध हथियार भी हो सकते हैं।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा हमदर्द ग्राउण्ड में घेराबंदी की गयी। मौके पर मोटरसाइकिल पर बैठे दो व्यक्तियों तथा एक अन्य व्यक्ति को चिन्हित किया गया। पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति भागने लगे जबकि एक व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पीछा करने पर मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी, जिसके बाद दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गये। घायल अवस्था में दोनों को गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने नाम आमिर पुत्र मीनाखान उर्फ मोमीन निवासी ग्राम बोन्द्रा थाना किठौर जनपद मेरठ तथा संजय सैनी उर्फ शिवा पुत्र मंगत सैनी निवासी ग्राम झिटकरी थाना सरधना जनपद मेरठ बताये। मौके से गिरफ्तार तीसरे अभियुक्त ने अपना नाम मोनू वर्मा पुत्र राकेश वर्मा निवासी होली चौक, कस्बा व थाना किठौर जनपद मेरठ बताया।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्होंने विगत दिनों थाना सिहानीगेट क्षेत्र के लोहियानगर, गोविन्दपुरम एवं संजयनगर क्षेत्र में महिलाओं के गले से चैन एवं मंगलसूत्र लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। अभियुक्तों द्वारा लूटे गये आभूषणों को अपने साथी मोनू वर्मा, जो पेशे से सुनार है, को देकर गलवाया गया था तथा सोने को टुकड़ों में विभाजित कर आपस में बांट लिया गया था। अभियुक्त उक्त सोने के टुकड़ों को बेचने के उद्देश्य से हमदर्द ग्राउण्ड में एकत्र हुए थे।

बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर अभियुक्तगण को मु0अ0सं0 198/2026 धारा 304(2)/317(2)/109(1) बीएनएस तथा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिहानीगेट, मु0अ0स0 117/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम, मु0अ0स0 333/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना कविनगर में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की गयी तो जनपद व अन्य पडौसी जनपदों में चोरी व लूट के दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

(1) आमिर पुत्र मीनाखान उर्फ मोमीन निवासी ग्राम बोन्द्रा थाना किठौर जनपद मेरठ, उम्र करीब 35 वर्ष। (लुटेरा)

(2) संजय सैनी उर्फ शिवा पुत्र मंगत सैनी निवासी ग्राम झिटकरी थाना सरधना जनपद मेरठ, उम्र करीब 42 वर्ष। (लुटेरा)

(3) मोनू वर्मा पुत्र राकेश वर्मा निवासी होली चौक, कस्बा व थाना किठौर जनपद मेरठ, उम्र करीब 35 वर्ष। (सुनार)

बरामदगी का विवरणः-

02 अवैध देशी तमंचा .315 बोर

04 जिन्दा कारतूस .315 बोर

02 खोखा कारतूस .315 बोर

लूटी गयी चैन/मंगलसूत्र को गलाकर बनाये गये सोने के टुकड़े

घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP15 BM4183

अभि0 मोनू वर्मा से 4500 रूपये नकद व सोना तोलने की इलैक्ट्रॉनिक काँटा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

(1) स्वाट टीम, नगर जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

(2) थाना सिहानीगेट पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।